

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. श्री मोडाराम पुत्र श्री ओटाजी, जाति-रबारी, निवासी-वाटेरा, तहसील-पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 70/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही(प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 28 फरवरी, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.9.2016 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 22015 दिनांक 20.9.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से उसके अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(3) प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.11.2016 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव के अनुसरण में ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 का ग्राम वाटेरा में पूर्व से ही आवासीय भूखण्ड बना हुआ है जिसमें अप्रार्थी संख्या-2 अपने परिवार के साथ निवास करता है। अप्रार्थी संख्या-2 सीमान्त कृषक है, इस कारण से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के

.....पेज दो पर



2
जिला कलक्टर
सिरोही, राजस्थान

नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर या निःशुल्क भूखण्ड पाने की पात्रता नहीं रखता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ़ के कारण बह गये हैं व भविष्य में रहने योग्य नहीं रहे हैं को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(0)पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गों को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नहीं है, वे ही व्यक्ति इस नियम के तहत रियायती दर पर भूखण्ड पाने के पात्र हैं। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)परावि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नहीं हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नहीं, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन करते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है जिसकी पुष्टि इस प्रकरण में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा के संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.11.2016 को एवं इसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब एवं लिखित बहस (लिखित बहस पंचायत निगरानी संख्या 62/2020 व अन्य प्रकरणों की संयुक्त प्रस्तुत करने से पंचायत निगरानी संख्या 62/2020 के संलग्न की गई है) में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि यह निगरानी आवेदन व अन्य निगरानी आवेदन पट्टाधारकों को पट्टेशुदा भूमि का ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा कब्जा सुपर्द नहीं करने की शिकायत पर पेश हुई है। यह निगरानी प्रकरण पट्टेशुदा भूमि का कब्जा नहीं मिलने का नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को पंचायत की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या-2 के बने हुए पुराने आवासीय मकान का जारी पट्टे से संबंधित है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध उक्त संयुक्त जांच प्रतिवेदन से होती है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने जांच रिपोर्ट का सही रूप से अवलोकन व अध्ययन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन सर्वथा गलत तथ्यों के आधार पर करीब 3 वर्ष के अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 को ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टे की भूमि सरकारी भूमि नहीं होकर मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का आबादी भूमि में पुराना आवासीय मकान बना हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या-2 मौके पर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। जिसके फोटोग्राफस व विद्युत बिल आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जो न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा जारी करने के

.....पेज तीन पर



al
 श्री. वि.स.स.स.स.स.
 सि.सं. (स.स.)

परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये है, जिन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.9.2016 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22015 दिनांक 20.9.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त पट्टे की भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं यदि मौके पर आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना आवासीय मकान बना हुआ है तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को पुनः पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही